2. The proposal for constituting National Commission on Bonded Labour is being examined in the background of the recommendations made recently by the National Commission on Rural Labour. Under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, conviction in more than 800 cases have been obtained since the inception of the Act and a fine of more than Rs. 6 lakhs recovered for contravention of the provisions of the Act. So far a total of above 2.55 lakhs bended labourers have beer, identified out of which above 2.22 lakhs have been rehabilitated.

3. Instances have come to notice where children below 14 years of age from Bihar were 'found working on carpet weaving looms in the adjoining districts of Uttar Pradesh. Apart from the fact that working of children below the age of 14 years in carpet weaving is legally prohibited, it was noted that in some cases such children suffered from exploitative conditions at the hands of the employers. A writ petition on the subject is presently pending consideration before the Hon'ble Supreme Court through its Order dated August 1, 1991, has appointed a fact-finding committee of three advocates for the purpose of ascertaining the particulars of bonded children in the carpet manufacturing area of Mirzapur and the concerned belt of Palamau and have directed the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar as well as Collectors of Mirzapur (Uttar Pradesh) and Palamau (Bihar) for giving the requisite support to the Committee for its work. Separate figures for Child Bonded Labour is not available.

श्री बेकल "उत्साही": सभापति महोदय यह बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में बंधुआ मजदूरों की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस मामले को एक स्वयं सेवी संस्था--भारतीय मुक्ति मोर्चा को जेनेवा में ह्यूमन राईट्स कमीशन के आगे ले जाना पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि ह्यूमन राईट्स कमीशन ने भारत सरकार से इस बारे में कोई पत्राचार किया है, खतो-खिताबत की है अगर किया है तो उसका ब्यौरा क्या है और भारत सरकार कमीशन के हस्तक्षेप को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मानती है।

†[شری بیکل (انساهی): اهمیکھ
مہودے یہ بڑے چنتا کا وشے ھے کہ
بھارت میں بندھوا مزدوروں کی
آبادی میں مسلسل اضافہ ھو رھا
ھے - اور اس معاملے کو سویم سیوی
سنستھا - بھارتیہ مکتی مورچہ کو
جنیوا میں ھیومن رائٹس کمیشن
کے آگے لے جانا پڑا ھے - میں جاننا
چاھونگا کہ ھیومن رائٹس کمیشن نے
بھارت سرکار سے اس بارے میں کوئی
پتراچار کیا ھے - خط و کتابت کی
ھے اگر کیا ھے تو اسکا بیورا کیا ھے
اور بھارت سرکار کمیشن کے ھستکشیپ
کو اپنے اندرونی معاملوں میں دخل
اندازی مانتی ھے -]

SHRI P. A. SANGMA: Sir

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1985 में पंजीकृत विधवाओं को मकानों का आवंटन

***162. श्रीमती कैलाशपति :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिये 1987 में एक स्कीम

† [Transliteration is Arabic Script.]

घोषित की थी जिसके अधीन उन गरीब विधवाओं से आवेदन पत्र मांगे गये थे जो डी०डी०ए० की 1985 की स्लम स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत थीं, यदि हां, तो कितनी विधवाओं ने उक्त स्कीम के अधीन आवेदन किया था ;

(ख) इस स्कीम के अधीन अब तक कितने ड्रॉ निकाले गये हैं और कितनी विधवाओं को मकान दिये गये हैं ; और

(ग) इस स्कीम के अधीन मकानों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरणपत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) वर्ष 1987 को बेघरों के लिये घर अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था । इस वर्ष दिल्ली में बेघरों के लिये घर का एक राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना का अभियान छेड़ा गया था । इस परियोजना के अन्तर्गत "मलिन बस्ती निवासी तथा अन्य के लिये रिहायशी फ्लैट पंजीकरण योजना–1985" के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) के पास पंजीकृत विधवाओं से प्रदर्शन परियोजना के सदस्य के रूप में अपना पंजीयन कराने के लिए विकल्प मांगा गया था और इसके अनुसरण में 625 विधवाओं ने पंजीयन के लिए आवेदन किए थे । विधवाओं के लिए 1987 में (i) स्वयं सिद्ध सहकारी सामूहिक आवास समिति तथा (ii) स्वयं सेवा सहकारी सामूहिक आवास समिति नामक दो सामूहिक आवास समितियां गठित की गई थीं जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 262 और 339 थी ।

(ख) और (ग) स्वयं सिद्ध समिति ने 262 फ्लैट की परियोजना को पूरा कर लिया है और 26–12–1990 को पहले लॉट का एक ड्रॉ निकाला है । सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् शेष सदस्यों के मामले में आवश्यक मंजूरी कर देने के तुरन्त बाद समिति द्वारा दूसरा ड्रा निकाला जायेगा ।

स्वयं सेवा सहकारी समिति की परियोजना का काम प्रगति पर बताया गया है । इस परियोजना के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण, निधियों की कमी और पट्टा विलेख को अन्तिम रूप देने में हो रही देरी बताये गये हैं । उम्मीद की जाती है कि पट्टा विलेख शीघ्र ही निष्पादित कर लिया जायेगा । तत्पश्चात् समिति हुडको से वित्तीय सहायता के लिये पात्र हो जायेगी ।

Control of floods in Maharashtra

*163. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government has submitted any proposal to the Central Government for control of floods in the State:

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

देश की विभिन्न नदियों का परस्पर जोड़ा जाना

*167. **श्री राम जेठमलानी**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए स्वर्गीय डा० के० एल० राव द्वारा सुझाई गयी योजनाओं को मूर्तरूप देने का विचार